न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 139 / 2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मोहनसिंह पुत्र नारायण सिंह।
2 नरेन्द्र सिंह पुत्र पप्पुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 विरेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।
2 छोटी पत्नी उम्मेद सिंह।
3 राजकंवर पत्नी पप्पुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर सीकर बउनवानी प्रकरण मोहनसिंह बनाम विरेन्द्र सिंह प्रकरण संख्या 37/2012 निर्णय दिनांक 01.10.13

उपस्थित

1. श्री सूरजभान सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 37/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2528 ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन

प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जागीरदारी खत्म होने पर धारा 19 में खातेदारी गलत की गई है विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा कास्त है अधिकारों की घोषणा मूल वाद में होना शेष है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर टी.आई. दी जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी संवत 2015 से हमारे पक्ष में है। हमारा कब्जा कास्त है विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत 2057 से 2060, 2049 से 2052, 2019 से 2022, 2015 से 2018, 2023 से 2026, 2053 से 2056, 2032 से 2035 एवं मिलान क्षेत्रफल ग्राम बेरी के अवलोकन से एवं नामान्तकरण संख्या 161,162 के अवलोकन से विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता को धारा 19 में प्राप्त होना प्रथम दृष्टया साबित है। प्रार्थी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित नही किया है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो विधि सम्मत है इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर